



फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट – थाना मऊदरवाजा

दिनांक :- 04.10.2024

थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को 01 अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर के साथ किया गया गिरफ्तार ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर महोदया ऐश्वर्या उपाध्याय के कुशल नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त विनीत पुत्र प्रेम नन्दन निवासी बघऊ थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ को 01 अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदगी/ गिरफ्तारी के आधार पर थाना मऊदरवाजा पर मु0अ0सं0 217/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:

1. विनीत पुत्र प्रेम नन्दन निवासी बघऊ थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।

पूछताछ का विवरण -

अभियुक्त विनीत उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि साहब गलती हो गयी माफ कर दीजिये अब आगे से ऐसा कोई काम नहीं करूंगा शेष सफाई मैं अपने वकील के माध्यम से कोर्ट में दूंगा।

अभियुक्त विनीत का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 217/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।

बरामद माल का विवरण:-

1. 01 अदद 12 बोर देशी अवैध तमंचा
2. 01 अदद 12 बोर जिन्दा कारतूस

गिरफ्तार करने वाली थाना मऊदरवाजा पुलिस:

1. प्र0नि0 श्री भोलेन्द्र चतुर्वेदी
2. उ0नि0 श्री इमरान फरीद
3. का0 जितेन्द्र सिंह
4. का0 रवि कुमार

मीडिया सेल फतेहगढ़



फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट – थाना मऊदरवाजा

दिनांक :- 04.10.2024

थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा दहेज हत्या के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर महोदया ऐश्वर्या उपाध्याय के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मऊदरवाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 212/2024 धारा 85/80 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट में वांछित अभियुक्तगण 1.गया सिंह पुत्र स्व0 हरिराम 2.पवन राजपूत पुत्र गया निवासीगण 71/1128 कांशीराम कालोनी हैवतपुर गढ़िया थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:

1. गया सिंह पुत्र स्व0 हरिराम निवासी 71/1128 कांशीराम कालोनी हैवतपुर गढ़िया थाना मऊदरवाजा ।
2. पवन राजपूत पुत्र गया सिंह निवासी 71/1128 कांशीराम कालोनी हैवतपुर गढ़िया थाना मऊदरवाजा ।

घटना का संक्षिप्त विवरण: दिनांक 28.09.2024 को श्रीमती तारा देवी पत्नी महाराम निवासी

अस्तबल तराई थाना मऊदरवाजा जनपद फर्रुखाबाद ने प्रार्थना पत्र दिया कि उनकी पोती शिवानी पुत्री सतीश पत्नी पवन कुमार की उसके ससुराल वालो ने प्रताड़ित कर दहेज हत्या कर दी है उक्त सूचना पर थाना मऊदरवाजा पर मु0अ0सं0 212/2024 धारा 85/80 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट बनाम 1.पवन पुत्र गया सिंह 2.गया सिंह पुत्र नामालूम 3.सुनीता देवी पत्नी गया सिंह 4.श्रीमती दुर्गा पत्नी संदीप 5.संदीप पुत्र गया सिंह 6.राहुल पुत्र गया सिंह पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में क्षेत्राधिकारी महोदया नगर के आदेशानुसार अभियोग उपरोक्त में वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु थाना पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी, आदेश के क्रम में मऊदरवाजा पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1.गया सिंह पुत्र स्व0 हरिराम 2.पवन राजपूत पुत्र गया सिंह निवासीगण 71/1128 कांशीराम कालोनी हैवतपुर गढ़िया थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण -

अभियुक्तगण गया सिंह व पवन राजपूत उपरोक्त ने पूछने पर गलती की माफी मांगते हुये बताया कि साहब जो अनहोनी होनी थी हो गयी। हम अपनी सफाई अपने वकील के माध्यम से कोर्ट में देंगे।

अभियुक्त गया सिंह उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 212/2024 धारा 85/80 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।

आपराधिक पवन राजपूत उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 212/2024 धारा 85/80 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार करने वाली थाना मऊदरवाजा पुलिस:

1. प्र0नि0 श्री भोलेन्द्र चतुर्वेदी
2. उ0नि0 श्री राघवेन्द्र सिंह
3. का0 मुनवेन्द्र
4. का0 अभिषेक।

मीडिया सेल फतेहगढ़

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

दि०- 04.10.2024

कोतवाली फतेहगढ़

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्तगण 1. टैम्पू पुत्र गुलाम मोहम्मद फारुखी निवासी हाथी खाना कोतवाली फतेहगढ़ 2. दीपक पुत्र नरसिंह निवासी सेपरेटर क्वार्टर आरआरसी फतेहगढ़ 3. राजू उर्फ राजेश शुक्ला पुत्र सुभाषचन्द्र निवासी मो० बजाजा कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फर्रुखाबाद मु०अ०सं०- 317/1998 वाद स०-91/1999 धारा- 3(1) गैंगस्टर एक्ट कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभि०गण के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया ।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 04.10.2024 को मा० न्यायालय गैंगस्टर एक्ट कोर्ट फर्रु० द्वारा अभि०गण को दोषसिद्ध कर प्रत्येक को 04-04 वर्ष का कारावास व 10-10 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।



एडीजीसी - श्री शैलेश कुमार सिंह



कोर्ट मोहरीर म०का० नीतू यादव



पैरोकार हे०का० श्याम सिंह